



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012023-241617
CG-DL-E-02012023-241617

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 03]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 2, 2023/पौष 12, 1944

No. 03]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 2, 2023/PAUSHA 12, 1944

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2022

का.आ. 06(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुसंधान, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन उपरोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा ;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात्, उप-कलक्टर (भूमि अर्जन), सूर्या परियोजना, डहाणु, आईडीबीआई बैंक के सामने, इरानी रोड, डहाणु, पालघर, महाराष्ट्र को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या तो व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा ;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आनेवाली भूमि का रेखांकन और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में प्रस्तावित विशाख रेल परियोजना, अर्थात् वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि का, संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

जिला— पालघर

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुका	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	पालघर	पालघर	उंबरपाडा नंदाडे	23 / 4	0.0162
				41	0.0460
				40	0.0684
				22 / 1	0.0210
				22 / 2 / 1	0.0693
				58 / 1	0.0683
				55 / 1 / 1	0.0708

[फा. सं. 2022/एलएमएल-II/12/1/डब्ल्यू सी/2370]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2022

S.O. 06(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Palghar in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20 D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, Deputy Collector (Land Acquisition), Surya Project, Dahanu, Opp. IDBI Bank, Irani Road, Dahanu, Palghar, Maharashtra in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing such objections and after making such further enquiry if any as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20 D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project of Western Dedicated Freight Corridor in Palghar district in the State of Maharashtra.

District- Palghar

Serial Number	Name of District	Taluka	Name of Village	Survey Number	Area in Hectares
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	Palghar	Palghar	Umberpada Nandade	23/4	0.0162
				41	0.0460
				40	0.0684
				22/1	0.0210
				22/2/1	0.0693
				58/1	0.0683
				55/1/1	0.0708

[F. No. 2022/LML-II/12/1/WC/2370]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (Land and Amenities)